

सं0सं0-7/कुष्ठ-4-01/2017- 36 (7)A

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी।  
भागलपुर।

पटना, दिनांक : 13-10-17

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- एलोपैथी-200- अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0002-कुष्ठ निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड- 20-2210012000002 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते मर्दों में कुल-₹30,00,000/- ( तीस लाख रू.) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-22(7)ब दिनांक-15.05.17, 28(7)ब दिनांक-23.06.17, 45(7)ब दिनांक-17.08.17, 59(7)ब दिनांक-11.09.17, 74(7)ब दिनांक-25.09.17 एवं 82(7)ब दिनांक-04.10.17 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते मर्दों में कुल-₹30,00,000/- (तीस लाख रू.) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-02.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0002-कुष्ठ निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड-20-2210012000002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से की जायेगी।

4. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारियों / कर्मचारियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र पर भी अंकित करेंगे।


6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं।

2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों।

3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं।



7. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8. इससे अवमाननावाद संख्या-1674/2012 में हुए न्याय निर्णय के आलोक (अभ्युक्ति में दिये गये सूची अनुसार) में भुगतान किया जायेगा, अगर राशि की कमी होती है तो संबंधित संस्थान में उपलब्ध राशि से जोड़कर भुगतान करें। भुगतान उपरान्त राशि के बचत होने की स्थिति में इस शीर्ष के आवश्यकता आधारित भुगतान भी किया जा सकता है। भुगतानोपरान्त राशि की कमी होने पर अतिरिक्त राशि की मांग विभाग से करेंगे।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

10. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

12/10/17

(सच्चिदानंद चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव

बिनाद

ज्ञापांक : 86(7)0

पटना, दिनांक : 13-10-17

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/सम्बंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सम्बंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सम्बंधित उपकोषागार पदाधिकारी/सम्बंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक/सम्बंधित सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-03, 7/आई0टी0 मैनेजर, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

बिनाद

देशीय वर्ष 2017-2018 में बिहार स्थित कृषि निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड 20-2210012000002 के उपशेष का अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	कुल योग वतन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अपर मु0चि0पदा0, भागलपुर	1200000	1560000	214000	12000	14000	3000000	अ0वाद सं0-1674/2012 के अन्तर्गत डा0 निरंजन सिन्हा के मुगतान हेतु
	कुल	1200000	1560000	214000	12000	14000	3000000	

(तीस लाख रु0) मात्र

उपबन्ध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबन्ध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0002-01-01)	192380000	148670000	1200000	149870000	42510000
2	जीवन यापन भत्ता (0002-01-03)	252020000	197430100	1560000	198990100	53029900
3	मकान किराया भत्ता (0002-01-04)	49439000	36896900	214000	37110900	12328100
4	परिवहन भत्ता (0002-01-05)	56000	54000	0	54000	2000
5	चिकित्सा भत्ता (0002-01-06)	2800000	2193200	12000	2205200	594800
6	अन्य भत्ता (0002-01-07)	3305000	2387600	14000	2601600	703400
	योग 20-2210.01.200.0002.01 वेतन	500000000	387831800	3000000	390831800	109168200
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0002-06-01)	200000	0	0	0	200000
8	यात्रा व्यय (0002-11-01)	200000	199000	0	199000	1000
9	कार्यालय व्यय (0002-13-01)	500000	500000	0	500000	0
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0002-13-02)	200000	160000	0	160000	40000
11	दूरभाष (0002-13-03)	200000	160000	0	160000	40000
12	विद्युत प्रभार (0002-13-04)	380000	378000	0	378000	2000
13	विधि प्रभार (0002-13-05)	200000	200000	0	200000	0
14	वर्दी/ पोषाक (0002-13-06)	50000	50000	0	50000	0
15	किराया महसूल एवं कर (0002-14-01)	300000	0	0	0	300000
16	प्रशिक्षण राशि (0002-20-03)	3300000	37500	0	37500	3262500
17	सामग्री एवं पूर्वाभार (0002-21-01)	100000	98000	0	98000	2000
18	दवा भंडार (0002-21-02)	500000	240000	0	240000	260000
19	आहार/ पथ्य (0002-21-03)	1000000	1000000	0	1000000	0
20	अनुपेक्षा एवं मरम्मत (0002-27-02)	1000	0	0	0	1000
21	सविदा सेवाएं (0002-28-02)	1000	0	0	0	1000
	कुल योग--	507132000	390854300	3000000	393854300	113277700

86 (7)A

13-10-17

सरकार के विशेष सचिव 12/10/17  
बिनाद